कोसी आंदोलन

मंडल परिसर, रास बिहारी उच्च विद्यालय के निकट
वार्ड संख्या– 18, मधेपुरा, बिहार
मो0– 9431023086 / 9431875214

कोसी इलाके में हम कई साथी विगत 19 अगस्त, 2008 से कोसी की तबाही से पीड़ित मधेपुरा, सहरसा, सुपौल, अररिया पूर्णिया, कटिहार, किशनगंज, खगड़िया और नवगधिया पुलिस जिला के विभिन्न इलाकों में जा रहे हैं। मुख्य रूप से आप लोगों के साथ खड़े होने, तथ्यों का संकलन करने, राहत कार्यों पर नजर रखने, अपने सम्पर्कों, संधियों एवं परिजनों से मिलने–जुलने और संचार माध्यमों से अपनी बात को कहने का प्रयास कर रहे हैं। इसमें ढेर सारे लोगों के अनुभव शामिल हैं। भ्रमण के दौरान जो राय बनी है उसे सरकार और समाज के सामने प्रस्तुत करना जरूरी लगता है।

यहां यह जान लेना आवश्यक होगा कि इन इलाकों के अलावा गंगा, महानन्दा, गंडक, बागमती, सोन सहित अनेकों नदियां गंगा में आकर मिलती हैं। इन नदियों सहित गंगा के विभिन्न इलाकों में भी पानी आया है और जानमाल की बर्बादी हुई है। जिसमें मुजफ्फरपुर, पटना, चम्पारण, बेग्सराय, मुंगेर, दरभंगा, मधुबनी, समस्तीपुर के भी कई इलाके शामिल हैं। कोसी का शोर इतना ज्यादा था कि इस कहर से अन्य इलाकों का शोर दबकर रह गया। कोसी के सवाल पर काम करते हुए भी हमारी राय स्पष्ट है कि कोसी की समस्या का जुड़ाव बिहार और देश की अन्य नदियों के साथ अटूट है। जहां तक कोसी के कहर का सवाल है तो इसे बाढ़ कहना सही नहीं होगा। इस वर्ष सरकारी आंकड़ों के हिसाब से अधिकतम 2 लाख 47 हजार क्युसेक पानी कोसी से डिस्चार्ज हुआ। जबकि बाढ़ का रिकार्ड 9 लाख 13 हजार क्युसेक तक का है। कोसी के इलाके में औसत वर्षा भी कम हुई है।

कोसी ने धारा बदली है?

प्रत्येक नदी का अपना स्वभाव होता है। जिसे हम लोग धारा बदलना या नई नदी का निकलना कह रहे हैं, वह कोसी की स्वाभाविक प्रक्रिया है। परन्तु इस घटना के मूल में तो बांध का टूटना, कट जाना या काट दिया जाना है। 17 अगस्त, 2008 तक बिहार सरकार का सिंचाई विभाग पूर्वी और पश्चिमी तटबंध को सुरक्षित बता रहा था। जबकि उनके ही एक अभियंता 6 अगस्त से ही सरकार को त्राहिमाप भेजने की

बात कह रहे हैं। कोसी की सात धारायें तिब्बत और नेपाल की पहाड़ियों से, जिसे सप्तकोसी कहा जाता है। यही धारा आगे बढ़कर तीन और फिर एक धारा का रूप ले लेती है। जहां पानी मैदानी इलाकों में उतरता है उसे बराह क्षेत्र कहा जाता है। तकरीबन 48 किलोमीटर तक कोसी नेपाल के मैदानी इलाकों में चलती है।

कोसी को बांधने के लिए नेपाल सरकार के साथ समझौता कर बांध का निमार्ण नेपाली भू–भाग में किया गया है। जिसे वीरपुर वैराज या कोसी वैराज कहा जाता है। जिसके रखरखाव की पूरी जिम्मेदारी भारत सरकार की है। इस बांध से आगे बतरा नामक स्थान में एक यंत्र लगा है जो पानी की मात्रा को मापता है। इस बैराज का पूर्वी तटबंध नेपाल के कुराहा नामक स्थान गुजरते हुए सहरसा जिला के कोपरिया घाट तक (कोपरिया रेल स्टेशन) विस्तारित है। इसी प्रकार पश्चिमी तटबंध दरभंगा, मधुबनी, समस्तीपुर होते हुए खगड़िया जिला के धोंधेपुर (कुशेखर स्थान) तक विस्तारित है। यहां से कोसी की धारा चलकर डुयरीघाट में बागमती से मिलती है। यह धारा महेशखूंट से राष्ट्रीय उच्च पथ तथा बरौनी कटिहार रेलखंड के लगभग समानान्तर चलकर कुरसेला के समीप गंगा में मिलती हैं वहीं खगड़िया से ही रेल लाइन के समानान्तर दाहिनी तरफ गंगा बहती हुई मुंगेर, भागलपुर, पहलगांव होते हुए कुरसेला पहुंची है। राष्ट्रीय उच्चपथ और रेल लाइन के बीचोंबीच असम से तेल का पाइपलाइन बरौनी तेल शोधक कारखाना तक लाया गया है। कोसी तटबंध के दोनों किनारों पर बांध के बाहर आज भी 380 से ज्यादा गांव उपस्थित हैं। जिसको हर साल डूबना ही पड़ता है। 1954 से लगातार कभी पश्चिमी तो कभी पूर्वी तटबंध पर टूट होता रहता है। जिसके कारण तबाही मचती रहती है। बांध बनने के पूर्व 31 प्रखंड बाढ़ प्रवण क्षेत्र माने जाते थे। जो नये रूप में बंटकर 64 प्रखंड हो गये हैं। परन्तु अब बाढ़ प्रवण क्षेत्र बढ़ रहे हैं। प्रखंडों की संख्या 178 हो गयी है। इस बार कोसी के चपेट में 36 प्रखंडों के करीब 800 गांव आये हैं। 17 अगस्त को कुसहा में बांध के टूटने, कट जाने या तोड़ दिये जाने की बात तो जांच का विषय है। वैराज से 13 किलोमीटर आगे कुसहा में एफ्लक्स–2 से एक धारा निकलकर सुपौल, अररिया, सहरसा, मधेपुरा, पूर्णियां, कटिहार के इलाकों को चीरते हुए गंगा की तरफ चली गयी। टूट स्थल पर लगभग 1700 मीटर चौड़ी धारा हो गयी है। जो तकरीबन 50 से 55 फीट गहरी है। यह टूट पूर्वी तटबंध पर हुआ है। दरअसल कोसी 1713 से 1733 के आसपास इन्हीं इलाकों में बहती थी। जिसकी कई पुरानी धाराओं ने आज नदी का रूप ले लिया है। जिसे आप कोसी की धारा का बदलना कह सकते हैं। 1986 में ही यह बात सामने आ गयी थी कि जल ग्रहण क्षेत्र में गाद मिट्टी के जमाव के कारण कोसी बराज अपनी उपयोगिता खो चुका है। यहां याद (सिल्ह) 40 से 60 फीट जमा है। 1886 से आज तक इसके निदान का कोई प्रयास नहीं हुआ। सिवा इसके कि हर साल बांध की ऊंचाई बढ़ाने की बात होती रही और नेपाल से बात करने की बात दुहरायी जाती रही। सच तो यह है कि दोनों तटबंध रख–रखाव के आभाव में जर्जर हो चुके हैं और गाद से भर गये हैं। बांध बनाकर योजनाकारों ने मान लिया था कि कोसी को सजाये मौत दे दी गयी।

प्रलय मानवकृत है :

इस घटना को प्रलय कहना परिणाम के रूप में तो सही है। परन्तु इससे आम आदमी में गलत संदेश जाता है। तथ्यात्मक रूप ऐसा कहना जिम्मदारी से मुक्त होना और छिपाना भी है। अजीब संयोग है कि बिहार में सत्तापक्ष और विपक्ष दोनों इसे प्रलय नाम देकर अपने कुकर्मों पर परदा डालना चाहते हैं। बांध को तो आज न कल और कहीं न कहीं टूटना ही था।

बड़े बांधों को लेकर 1905 से 1952 तक कई दौर के बहस के प्रमाण उपलब्ध हैं। तत्कालीन विशेषज्ञों की राय, बड़े बांधों के पक्ष में नहीं थी। पूर्व राष्ट्रपति डा0 राजेन्द्र प्रसाद ने तो नदियों के साथ "रिजनेवल ट्रीटमेंट" जैसे शब्दों का प्रयोग किया है और बांधने का विरोध किया था। तब यह कहा गया था कि वीरपुर वैराज बनने से बाद नियंत्रण होगा, बिजली मिलेगी और सिंचाई का प्रबंध होगा। परियोजना रपट के मुताबिक इसके सिल्ट के निकालने का काम होना था। बांधों का रखरखाव होना था। इसके बाद भी तीस साल में इसकी उपयोगिता खत्म हो जाती थी। कमाल है कि 1954 से प्रारम्भ परियोजना अभी तक पूरी ही नहीं हुई है। सिल्ट निकाला ही नहीं गया, यह संभव भी नहीं है, क्योंकि सिल्ट आना और इसका निष्कासन नदियों के प्राकृतिक प्रवाह का हिस्सा है। वैराज बनने के बाद बाढ़ प्रवण क्षेत्र का विस्तार हुआ। बिजली आज तक नहीं मिली। कुछ सीमित क्षेत्रों में नहर प्रणाली के द्वारा तब सिंचाई का प्रबंध हुआ था। अब तो नहरों एवं खेतों में बालू भरा है। हां सिंचाई विभाग पैसा जरूर वसूलता है। उल्टे लाखों एकड़ जमीन में जल जमाव हो गया। 1950 के समझौते के बाद 1954 में बांध बना। तब के बाद से उस इलाके में पानी का प्रकोप कभी नहीं हुआ था, जिस इलाके में इस बार कोसी ने कहर बरसाया। इस इलाके के लोग तैरते थे अब डूब रहे हैं। नहर प्रणाली के कारण इन इलाकों के पोखरे और तालाब भी गायब हो गये। जो इसकी आर्थिक सरंचना का आधार भी था। कुछ तो नहर प्रणाली के कारण हुआ। कुछ आधुनिक जल व्यवस्था के कारण। रहा–सहा कसर भूमि वितरण के राजनीतिक अभियान ने पूरा कर दिया। जल संरक्षण एवं संवर्धन की एक सपन्न परम्परा का, व्यवस्था का अंत हो गया। कटैया में बना बिजली घर उत्पादन किये बगैर फतहपुर सिकरी के अवशेष की तरह पड़ा है। दरअसल बाढ़ के प्रति दृष्टिकोण पर गंभीर विचार की आवश्यकता है। मृदा विज्ञान के वैज्ञानिक डा0 बी. बी.मिश्रा की मानें तो वे बाढ़ को प्रकोप के बजाय "संस्कार" मानते हैं। यह शुद्ध रूप से मानव कृत अपराध है। इसे प्रलय कहकर टालना उचित नहीं है।

कोसी और गंगा का बहनापाः

लोक मान्यता है कि कोसी गंगा की छोटी बहन है। शंकर की पुत्री है। कुंवारी और चंचल है। हर साल कोसी अपनी बड़ी बहन गंगा से मिलने जाती है। गंगा से मिलकर ही उसकी उतेजना शांत होती है। इस इलाके की स्त्रियां कोसी की पूजा करती हैं। वे प्रार्थना करती हैं कि "हे कोसी! आप हमारे घर आयी, अच्छा किया। हम धन–धान्य हुए। अब आप जायें और फिर अगले साल आयें।" जो लोक विज्ञान को प्रगट करता है। मान्यता यह भी है कि–राक्षस और कोसी में एक बार शर्त लगी। राक्षस ने शादी का प्रस्ताव किया। कोसी ने कहा 'रातभर में बांध दोगे तो शादी कर लेंगे। नहीं बांध पाये तो तुम्हारी गर्दन उतार लेंगे।' कहा जाता है कि राक्षस के प्रयास से कोसी घबरा गयी। अपने पिता शंकर से प्रार्थना करने लगी। शंकर ने मुर्गा बनकर अर्धरात्रि में ही बांग दे दिया। मुर्गे का बांग सुनकर राक्षस को सबेरा होने का भ्रम हो गया। वह जान बचाने के लिए भाग गया। बांध के पुराने अवशेषों को राक्षस का प्रयास मानकर आज भी लोग इस कथा को जीते हैं। लोक मान्यता का निष्कर्ष स्पष्ट है कि कोसी को बांधना संभव और जरूरी नहीं है।

विध्वंस का चेहराः

कोसी के कहर का सही आकलन, पानी पूरी तरह उतरने तथा लोगों के वापसी पर ही संभव होगा। अनुमानतः सौ से ज्यादा गांव नक्शे से गायब हैं। पचास हजार से कहीं ज्यादा लोगों का अता–पता नहीं है। जानवरों की संख्या इससे भी कई गुना ज्यादा है। पचास लाख से ज्यादा की आबादी प्रत्यक्ष रूप से तबाह हुई है। तकरीबन एक करोड़ की आबादी पर अप्रत्यक्ष प्रभाव पड़ा है। फसलों, सड़कों, रेलपथ, जान–माल, पशुधन, फसल, घर–द्वार, बाग–बगीचा, पोखरे, तालाब, चापकल, कुंआ, आहर, नहर, स्कूल, कालेज, अस्पताल, धार्मिक स्थलों, बाजारों का आकलन किया जाये तो 50 हजार करोड़ से ज्यादा का नुकसान हुआ है। समाज वैज्ञानिक प्रभात शांडिल्य इसे बाढ़ के बजाय नरसंहार की संज्ञा देते हैं।

बेचारा नेपालः

बिहार सरकार और भारत सरकार विगत पचास साल से यह प्रचारित करती रहती है कि नेपाल ने पानी छोड़ दिया। सच तो यह है कि नेपाल के पास कोई बांध नहीं है। बैराज भारत के नियंत्रण में है। इस प्रकार के प्रचार से भारतीय जनमानस में

नेपाल के प्रति और नेपाल में भारत के प्रति दुराव पैदा होता रहता है। इस साल भी बांध के कारण नेपाल को भी भारी जानमाल की क्षति हुई है। वतरा में जल संचय क्षेत्र में जलमापी व्यवस्था है। जिसका काम केवल मापना है कि कितना पानी यहां से गुजरा।

गंगा, हिमालय और पानी का सवालः

गोरखपुर से गोवाहाटी तक प्रबल भूकम्पीय क्षेत्र है। हिमालय अभी निमार्ण की प्रक्रिया में है। विगत पचास साल से भारत सरकार के द्वारा ऊंचाई पर छः वैराज प्रस्तावित है। इन पानी का दबाव एक बड़ी तबाही का मंजर पैदा कर सकता है। विशेषज्ञों की राय में इस क्षेत्र में बांध बनाना आत्मघाती हो सकता है। नेपाल के साथ इसी प्रस्ताव पर वार्ता होती रहती है। दूसरी कि सुरक्षा के कारणों से यहां चीन और अमेरिका को आने का बहाना मिल सकता है। इससे भी ज्यादा आवश्यक है कि हम गंगा, हिमालय और पानी के सवालों पर गंभीरतापूर्वक विचार किये बगैर सही फैसले तक नहीं पहुंच पायेंगे। हरिद्वार से फरक्का (प0 बंगाल) तक गंगा अपने दोनों किनारों पर अनेकों नदियों का जल ग्रहण करती है। इसी कड़ी में बिहार में बक्कसर से फरक्का के बीच गंगा के दोनों किनारों पर सोन, पुनपुन, गंडक, बूढ़ी, गंडक, कमला, करेह, भूतही, कोसी, किऊल, महानंदा जैसी अनेकों नदियां गंगा से मिलती है। ये नदियां गंगा की स्वाभाविक सफाई भी करती हैं गंगा इसे पदमा के रास्ते समुद्र में पहुंचाती है। अंग्रेजों के जमाने में बड़े पैमाने पर जंगल काटे जाने के कारण मिट्टी का क्षरण तेज हुआ है। जिसके कारण नदियों में गाद का आना बढ़ गया है। गंगा पर फरक्का वैराज बनने के बाद गंगा में गाद लगातार भर रहा है। जिसके कारण इसकी गहराई लगातार घट रही है। नदी चौड़ी हो रही है। गंगा उथली हो रही है। सभी नदियों से आने वाला गाद और गंगा का अपना गाद सहज भाव में फड़क्का वैराज के कारण समुद्र तक जा नहीं पा रहा हैं इस बात की गंभीर आशंका है कि आने वाले समय में कटिहार, माल्दा, इंगलिश गंज, एवं मुर्शिदाबाद जिलों में गंगा भयानक तबाही मचाये और सीधे रास्ते से पदमा में मिल जाये। फरक्का वैराज वैसे ही धरा का धरा रह जाए, जैसे आज कुसहा टूट के बाद वीरपुर वैराज धरा का धरा रह गया। दामोदर वैली कारपोरेशन के तत्कालीन अभियंता कपिल भट्टाचार्य ने तब ऐसी ही चेतावनी दी थी। जहां तक कोसी का सवाल है तो इसका गंगा से सहज मिलन संभव नहीं हो पा रहा है। दरअसल आधुनिक जीवन पद्धति हमें गंभीरता से विचार करना ही नहीं सिखाती है। पानी के प्रवाह को समझना एक जरूरी काम है। पानी को निकास का रास्ता चाहिए। विकास के नाम पर इन इलाकों में राष्ट्रीय उच्च पथ, राज्य उच्च पथ, रेल पथ, नहरों आदि का जाल बिछाया गया। परन्तु इसमें पानी के निकासी हेतु आवश्यकतानुसार पुल–पुलिया का निर्माण नहीं किया गया। इसे एक उदाहरण से हम समझ सकते हैं कि खगड़िया से कुरसेला तक राष्ट्रीय उच्चपथ एवं कटिहार–बरौनी

रेलमार्ग पर एक भी पुल नहीं बनाया गया। जबकि यही वह इलाका है जो गंगा और कोसी का मिलनस्थल माना जाता है। खगड़िया और कुरसेला के बीच की दूरी 70 किलोमीटर है। यहीं पर गंगा कोसी से मिलती है। आगे भी मिलेगी। सदियों से मिलती रही है नदी पूर्वी छोर से बहे या पश्चिमी छोर से। तब तबाही का मंजर नहीं था। 1920 के पूर्व तक तबाही का प्रमाण नहीं मिलता है। अतः यह कहना होगा कि कोसी या किसी अन्य नदी पर विचार करते समय हिमालय, गंगा और पानी की मात्रा को केन्द्र में रखकर विचार करेंगे तो सही रास्ता मिलेगा। असली सवाल बाढ़ नियंत्रण नहीं है। सवाल जल निकासी का है। जल के नियोजन का है। नदियों के प्रवाह को गतिशील कर, जल को रास्ता देकर हम तबाही को कम कर सकते हैं। क्योंकि बाढ़ तो आयेगी ही। आधुनिक विज्ञान में नदी विज्ञान का काफी विकास हुआ है। पश्चिम के अनुभव भी अब सामने आ चुके हैं। वे लोग भी अनुभव के आधार पर बड़े बांध की नीतियों को खारिज कर रहे हैं। सभी सूरत में लोक मानस के सामान्य अनुभव और आधुनिक विज्ञान की समझ का सहज तालमेल बिढ़ाकर रास्ता निकाला जा सकता है। नदियों के स्वभाव एवं उपयोगिता को समझे बगैर निमार्ण का फैसला आत्मघाती ही होगा। तब यह कहा जा सकता है कि बांध को तो टूटना ही था। आगे भी इसकी भयानकता सामने आने वाली है। अनुभव के बाद भी हमारे राजनेता, विशेषज्ञ बचकानी हरकत पर आमदा है। गाद का, नदियों के प्रवाह का, फरक्का का विचार किये बगैर टूट को बांधने का फैसला एक प्रलय को आमंत्रण होगा।

राहत का उत्सवः

राहत पर विचार करते समय यह देखना आवश्यक होगा कि सरकारें अपने लोगों के साथ कैसा व्यवहार करती हैं। राहत अगर दया और कृपा मानकर किया जायेगा तो लोगों को भीख से ज्यादा नहीं मिलेगा। लोग राहत में होने वाली कमी, गड़बड़ी के खिलाफ बोल भी नहीं पायेंगे। भारत का आपदा प्रबंधन कानून 2007 तत्कालीन राहत, मुआवजा, पुर्नवास, आपदा के पूर्व की तैयारी तथा निदान को सपुच्चयवध करता है। बड़ी दुखद बात है कि बिहार सरकार की राहत नियमावली बेहद कमजोर एवं अपमानजनक है। कोसी के कहर में भी सरकार दया और करूणा से आगे नहीं बढ़ पायी। उसे यह अहसास ही नहीं होता है कि राहत जनता का हक है। अन्यथा तमिलनाडु में सुनामी की राहत और बिहार के कथित प्रलय की राहत अलग–अलग क्यों दिखाई देता ? हमारा तंत्र अपने ही लोगों को सम्मान देना ही नहीं चाहता है। सरकार अगुवा, संवेदनशील हो भी जाय तो भी तंत्र को तथा मंत्र को बदले बगैर राहत सही रूप में नहीं मिल सकती है। चूड़ा, गुड़, दियासलाई, मोमबती, प्लास्टिक सीट, मात्र की अगर राहत है तो सरकार की मंशा सही नहीं कही जा सकती है। एक ही देश में दो तरह का व्यवहार आश्चर्य प्रकट करता है। सुनामी के समय राहत और बिहार में राहत का फर्क शर्म की बात है। विद्वान प्रधानमंत्री ने भी बिहार को

भिखारी से ज्यादा कुछ नहीं समझा। अन्यथा हिसाब–किताब लगाकर दिया जाता तो पचास हजार करोड़ से ज्यादा का दावा बिहार का बनता है। बिहारी राजनेता, प्रशासक अपनी प्रजा को भिखारी से ज्यादा अहमियत नहीं देते हैं। इसी कारण हजार दो हजार करोड़ में ही सत्ता पक्ष और विपक्ष दोनों अपनी पीठ थप–थपा रहा है। बिहार की जनता भी इस कदर अंधकूप में डूबी पड़ी है कि वह अधिकार को मांगने की हिम्मत नहीं कर पाती है। उनका मानस पिछले साठ साल से भिखारियों जैसा बनाया गया हैं जो कुछ देने की घोषणा होती है उसमें भी लूटपाट, छीनाछपटी, भाई–भतीजावाद, भ्रष्टाचार, अहंकार इस कदर समाया है कि जनता मुंह देखती रह जाती है। पश्चिमी तटबंध के इलाके में स्थित 384 से ज्यादा गांवों के लोग हर साल लगभग बाढ़ में डूबते थे। इस साल पूर्वी तटबंध के टूट के कारण यहां पानी नहीं आया। नदी ने यह किनारा ही छोड़ दिया। हर साल की तरह राहत बांटने वाले सरकारी, गैर सरकारी एवं दलाल लोगों को राहत के उत्सव का आन्नद नहीं मिला। वे इस बार हाथ मल रहे हैं। जनता को भी राहत की आदत सी लग गयी थी। उन्हें हर साल की तरह इस बार इंतजार था कि राहत वाले भैया आयेंगे। लम्बे समय से एक तंत्र गैर सरकारी (एन.जी.ओ.) संगठनों ने खड़ा कर लिया था। उन्हें ही निराशा हुई होगी। सरकारी तंत्र की जितनी आलोचना की जाय, वह कम है। परन्तु गैर सरकारी संगठनों को भी लगाम लगाना चाहिए। क्योंकि ये भी तभी दौड़ लगाते हैं जब मुद्दों की खबर मिलती हैं गिद्ध की तरह दौड़ते हैं। इस बार पूर्वी इलाके में सरकारी अपतों, नेताओं के साथ–साथ एन.जी.ओ. के लोगों की भी धुनाई जनता ने कई जगह की है। पूर्व में इंतजाम एक बात है। बांध टूटने या बाढ़ आने पर हाय–तौबा मचाना दूसरी बात है। क्षमा करेंगे भाषा अगर कड़वी हो गयी हो तो।

जिस हिस्से में कोसी का कहर बरसा, उस इलाके में विगत 60–70 साल से बाढ़ आयी नहीं थी। लोगों को यह आश्वस्त किया गया था कि बांध है तो बाढ़ नहीं आयेगी। इसी कारण इन इलाकों के लोगों ने भी बाढ़ के साथ, नदी के साथ सहजीवन की तैयारी छोड़ दी। तैरना सीख नहीं पाये। नावें बनी नहीं थी। मकान ऊंचे टीलों पर बनाये नहीं। खाने–पीने का, चारे का कोई इंतजाम था नहीं। सबसे बड़ी बात कि पानी के साथ सहवास का अभ्यास भी नहीं था। आपदा प्रबंधन तो आफत की तरह आया। 18 अगस्त को बांध टूटा। तकरीबन 26 तारीख तक गैर सरकारी या सरकारी राहत नदारद था। इकाई जहाज द्वारा कुछ पैकेट जरूर गिराये गये थे। बाढ़ के समय राहत के नाम पर संसाधनों की लूट का एक नजीर यह है कि इन इलाकों के पंचायत प्रतिनिधियों ने राहत के नाम पर प्रथम दौर में जो कुछ भी प्राप्त किया, उसका दर्शन पीड़ितों को नहीं हुआ। सरकारी कर्मचारी, पुलिस प्रशासन तो इलाका छोड़कर भाग गया। समर्थ लोग भी भाग गये। निरीह, गरीब, कमजोर......... पर डाले गये लोग डूबकर मरने को विवश हो गये। कानून व्यवस्था लगभग खत्म थी। लूटपाट, छीना–झपटी, जोर–जबरदस्ती और महिलाओं के साथ अपमानजनक व्यवहार की बातें भी सामने आयी हैं। इसका नजारा देखना हो तो कोई छातापुख, प्रतापगंज, कुमारखंड, भरगाया, मुरलीगंज, बिहारीगंज के इलाके में देखें। बिहार सरकार के राजस्वमंत्री नरेन्द्र

नारायण यादव के ग्रामीण बालाटोल वासी दुःखी हैं कि उनके विधायक, मंत्री और अगुवा अपना परिवार लेकर गांव छोड़ गये। बाकी तो वहीं छूट गये डूब मरने को। गम्हरिया प्रखंड के इटवा जोगिया के राजेश्वर यादव ही बेहतर कह सकते हैं कि सिंहेश्वर के विधायक रामेश्वर यादव ने किस प्रकार उनके द्वारा चलाये जा रहे राहत शिविर पर कब्जा कर लिया। नर्मदा आंदोलन की नेता मेधा पाटकर जब कोसी आंदोलन के नेता आन्नद मंडल के साथ बेलहीघाट का दौरा कर रही थी तो ठीक उसी सयम प्रतापगंज के प्रमुखपति (प्रमुख के पति) भूपनारायण यादव ऑक्सफेम के केन्द्र प्रभारी विनोद यादव को ......
यह समझा रहे थे कि किसी राहत शिविर को छोड़कर चले जायें ताकि भूपनारायणजी अपना बैनर लगाकर यह कह सकें कि 19 अगस्त से ही उनका शिविर चल रहा है। यह वाकया 5 सितम्बर का है यह सब प्रारंभिक चरण के राहत सामग्री के लूट को छिपाने का अभिक्रम था। सेना को स्थानीय स्तर पर दिशा–निर्देश हेतु कोई सक्षम अधिकारी या नागरिक उपलब्ध नहीं था। सरकार के ...... शिविर पीड़ितों से 30,40,50,70 किलोमीटर की दूरी पर आज भी लगे हैं। सरकार भले ही यह दावा करे कि उन्होंने लोगों को डूब क्षेत्र से निकाल लिया और डूबे लोगों तक राहत पहुंचाया यह सच का सौंवा हिस्सा है। क्योंकि लोग आराहा नहर, हीनापट्टी नहर, ग्वाल पाड़ा नहर, पुरैनी नहर, जदिया नहर पर शरण लेने को विवश हैं। 50......
पंचायत जो पूर्व मुख्यमंत्री डा0 जगन्नाथ मिश्र का पंचायत है पर आज भी 1000 से ज्यादा लोग जीवन और मृत्यु से जूझ रहे हैं। 54 आर.डी ललित ग्राम में 1000 लोग, 58 आर.डी. चैनपुर के पीछे ठेढ़ी पंचायत के 1000 लोग, परियाही माइनर में 500 लोग, अरराहा–मुरलीगंज ब्रांच पर परमानन्दपुर और राधोपुर पंचायत के 5000 हजार लोगों को राहत का एक दाना भी नहीं मिला है। यही हालत मध्धेपुरा जिला के मुरलीगंज प्रखंड के दीनापट्टी नहर पर है। आठ से दस हजार लोग राहत के लिए तरसते रह गये। मध्धेपुरा जिले के पुटैनी, आलपनगर, चौसा, बिहारीगंज, किशनगंज, कुमारखंड, शंकरपुर, मुरलीगंज प्रखंडों के नदी के चपेट में आये लोग तो अंतिम दिनों तक निकाले नहीं जा सके। कुल मिलाकर सरकारी तंत्र विफलता, अफरातफरी और निराशाजनक भाव से ग्रस्त था। लोग मेगा कैम्पों में आने को तैयार नहीं हैं क्योंकि डूब क्षेत्र में काननू एवं व्यवस्था भंग है तो लोग अपने घरों से चिपककर जान–माल और इज्जत–आबरू की रक्षा में लगे हैं। ज्यों–ज्यों पानी घट रहा है तो अब महामारी भी फैल रही है। लोग देश के अलग–अलग हिस्सों में भाग गये और भाग रहे हैं। छोटी और कमजोर जातियों तथा कमजोर तबकों के तो कई परिवार के परिवार स्वाहा हैं। उनके मृत्यु की गणना भी कौन करेगा? इन इलाकों के महादलितों को तो महादलित होने का दंश लकवा मार गया है। वे न तो बोल पा रहे हैं। न कुछ मांग पा रहे हैं। क्योंकि जो बच गये हैं वे किसी तरह अब केवल बचना चाहते हैं। हालत यह है कि "सिर से सीने में कभी, पेट से पांवों में कहीं, हो कोई जगह खाली तो कहूं, दर्द इधर होता है।" कुल मिलाकर यह कहा जा सकता है कि तस्वीर निराशाजनक और अंधकारमय है। आम आदमी हाशिये पर है। चेहरे पर शून्य का भाव है। दबंगों की बन आयी है।

समाज ही आगे आयाः

कहते हैं कि निराशा में भी आशा की किरण फूटती है, घृणा में प्रेम के बीज छिपे होते हैं। अंधकार में दीपक भी टिमटिमाता है तो लोगों को ताकत मिल जाती है। 18 से 26 अगस्त तक इन इलाकों में और इसके पड़ोस में व्यापक जागरण देखा गया। जब सरकार नहीं थी। गैर सरकारी संगठन नहीं था। डूब क्षेत्र से बाहर के लोग, उसका पड़ोसी अपनों की मदद को लगभग दौड़ रहा था। दरभंगा, मधुबनी, समस्तीपुर, खगड़िया के लोगों से जो कुछ बन पड़ा, लेकर दौड़ पड़े। पूर्णियां, अररिया, किशनगंज, कटिहार के सामान्यजनों में ऐसा ही उत्साह देखा गया। खगड़िया से नवगछिया और नवगछिया से कुरसेला तक के गंगा और कोसी के बीच आबादी ने तो गजब का काम किया। गंगा से दर्जनों नावों को लेकर वे कुरसेला होकर बिहारीगंज, उदाकिशनगंज, आसयगंज, पुरैनी, चौसा, बेलदौर के इलाके में गये। जितना बन पड़ा उतना लेकर गये। साथ में सुरक्षा का इंतजाम भी लेकर गये। सैकड़ों लफंगों को खदेड़ने का काम किया। तीन–चार दिन के अंदर तीस से चालीस हजार लोगों को निकाल लाये। इनमें से अधिकांश को लोगों ने अपने–अपने घरों में शरण दिया। रायपुर, कुसहा, नगरपाड़ा, भवानीपुर, भ्रमरपुर, नारायणपुर, शाहपुर, चकरामी, सतीशनगर, जयरायपुर, भड़वा, मकन्दुपर, चैदपुर, रंगड़ा आदि गांवों में आज भी लोग शरण लिये हुए हैं। मधुबनी से सियाराम यादव, प्रवीणदास जैसे लोग दौड़ पड़े। कोसी समाज के लालेश्वर भाई 22 अगस्त को नौ नाव लेकर अपने साथियों के साथ सुसहा टूट के रास्ते बसंतपुर, छातापुर, मरगाया, कुमारखंड के इलाके में आ गये। 20 दिनों तक इनका सम्पर्क अपने साथी अमरनाथ पुर ठाकुर से नहीं हो पाया। राधोपुर के नौजवान एवं नागरिकों ने बड़ा काम किया। उदा किशनगंज में शंकर झा जैसे नागरिकों ने अपराधियों पर अपने तरीके से लगाम लगाया। बीहपुर के त्रिमोहन (हरियो) घाट पर नौजवान डटे रहे। इन नौजवानों ने तो लोगों का दिल जीत लिया। ऐसी हजारों कोशिशें अलग–अलग इलाकों में हुए हैं। सरकारी और गैर सरकारी राहत दाताओं की समस्या यह हैं कि वे राहत के योग्य उन्हें ही मानते हैं जो शिविरों में आते हैं। इस बार ही नहीं हर बार लाखों पड़ोसी परिवार पीड़ितों के लिए राहत शिविर बनते हैं। जहां तक राहत पहुंचती ही नहीं। ये पड़ोसी, नातेदार, रिश्तेदार, परिचित और जात–कुटुम्ब भी होते हैं। इस इलाके में प्रारंभिक दौर में कुछ अस्थानीय संस्थाओं ने भी आगे बढ़ कर काम किया है। अब जब पानी उतर रहा है तो खेतों तक राहत ले जाने में सबको मिलकर विचार करना चाहिए। समाज अभिक्रम का एक उदाहरण हम देना चाहेंगे–खैरपुर बांध तोड़ देने के कारण गंगा का पानी खरीक प्रखंड की आठ पंचायतों में फैल गया। सौ करोड़ से ज्यादा केला सहित अन्य नगदी फसलों की बरबादी हुई। यहां गंगा की एक उपधारा को कलबलिया धार कहा जाता है। जो नरकटिया से कटोरिया तक 40 किलोमीटर लम्बा है। इसी से एक धारा कमलापुर होकर गंगा से मिलती है। जो 15 किलोमीटर लम्बा है। यह जल निकासी का रास्ता है। भागलपुर में नया रेल पुल बना तो तेतरी के पास राष्ट्रीय उच्चपथ 31 को पुल से जोड़ने वाले मार्ग पर कलवलिया धार को बांध

दिया गया। सैकड़ों साल से लोगों ने कलवलिया में पानी बहते तो देखा था लेकिन धार से ऊपर आकर लोगों को डुबाते नहीं देखा था। इस बार तितरी से नरकटिया तक 18 किलोमीटर 14 नम्बर सड़क पर खतरा बढ़ गया। यह घटना भी 18 अगस्त को ही घटी। तेतरी, जमूनिया, तुलसीपुर, गणेशपुर, खरीक, कठेला, तेलघी, करहर, जमालदीपपुर, उस्मानदीपपुर, गौरीपुर लत्तीपुर, अमरपुर आदि गांव पर खतरा बढ़ गया। लोगों ने मात्र तीन दिन में 18 किलोमीटर लंबा बांध बनाकर अपना गांव बचाया। सरकार और गैर सरकारी संगठन यहां भी नहीं थे। बड़े से बड़े और छोटे से छोटे घरों की स्त्रियां भी इस काम में आई।

असली चुनौती अब आने वाली है :

पानी ज्यों उतर रहा है तो बचे लोग अपने–अपने ठिकानों की ओर लौट रहे हैं। बहुत को अब उनका गांव नहीं मिलेगा। खेत नहीं मिलेंगे। घर नहीं मिलेगा। परिजन और माल–मवेशी नहीं मिलेगा। घरों में समाना छोड़ गये थे वह सामान नहीं मिलेगा, बूढ़े–बूढ़ियां और स्त्रियां छूट गयी थी, वे भी नहीं मिलेंगी। क्योंकि कोसी सब कुछ बहा ले गयी। माहामारी फैल रही है इलाके के बड़े भाग में जल जमाव है। पानी के प्रवाह ने रेल, सड़क, नहर को सैकड़ों जगह छिन–भिन्न कर दिया है। पानी ने अपना रास्ता बना लिया है। सरकारी अमला जैसे–तैसे बंद करने में लग गया है। अगर टूट की जगह पुल–पुलिया नहीं बना तो आफत सर पर मंडराती रहेगी। लोगों के पुर्नवास का मुद्दा और मुआवजे का प्रश्न कौन हल करेगा? आशा तथा उत्साह भरने का सवाल अनुतरित है। आशा किरण दूर–दूर तक नजर नहीं आ रही है। सरकार से बड़ी राहत एजेंसी कौन है? वह अफरा–तफरी, जल्द बाजी और बेइमानी से ग्रस्त है। असली पीड़ित शिविर से बाहर हैं, नकली ने शिविर पर कब्जा जमा लिया है। शिविर की हालत बहुत बुरी है। कहा जा सकता है कि दुकानदार तो मेले में लुट गये यारों, तमाशबीन दुकानें लगाकर बैठ गए। वक्त शिकवा–शिकायत का नहीं है परन्तु सच्चाई से मुंह छिपाना एक प्रकार की कायरता और संवेदनहीनता है। घोषणाएं खूब हो रही हैं। कोसी विकास बोर्ड बन गया, न्याय आयोग भी गठित को गया। प्रधानमंत्री ने राष्ट्रीय आपदा भी घोषित कर दी। देशभर से सरकारी और गैर सरकारी संगठन और कम्पनियां भी पहुंच रही हैं थोड़े ही दिन बाद मीडिया का शोर थम जायेगा। थके हारे निराश शून्य में गए लोग हाशिये पर चले गये लोग, उनको दो मीठे बोल भी कौन कहेगा। कोसी समाज को दवा और दुआ भी चाहिए। इससे भी ज्यादा उसे उसका हक चाहिए। जिन कारणों से परेशानी बढ़ी है और जिन लोगों के कारण परेशानी बढ़ी है उस पर कारवाई भी होनी चाहिए। इलाके में अराजकता और रक्तपात की आशंका है। महामारी भी फैलने लगी है। पर कौन है जो दोड़–दौड़कर गांव–गांव जायेगा?

राष्ट्रीय आपदा का सवाल :

आपदा के दौरान प्रधानमंत्री पुर्णिया गये थे। उन्होंने सहायता की नगण्य राशि की घोषणा की। यह अलग बात है कि मुख्यमंत्री और विपक्ष के नेता अपनी–अपनी पीठ थपथपा रहे हैं। दोनों खुश हैं। दिल्ली लौटकर प्रधानमंत्री ने इसे राष्ट्रीय आपदा कहा–परन्तु आज तक इसके प्रावधान मालूम नहीं हैं। अपने देश में राष्ट्रीय आपदा कानून 27 जुलाई 2007 को पुर्नगठित हुआ है। बिहार सरकार का रिलीफ कोच बहुत ही कमजोर है। क्या राष्ट्रीय आपदा कानून की जानकारी और उसका फायदा लोगों को मिल पायेगा? मुआवजा और पुर्नवास के समय इस कानून का अमल होगा? ऐसे सवालों पर इलाकों में कोई आवाज नहीं है।

न्यायिक जांच आयोगः

बिहार सरकार ने न्यायिक जांच आयोग की घोषणा की है। अवकाश प्राप्त न्यायाधीश को इसकी जिम्मेदारी दी है। कार्यकाल छः माह रखा गया है। मामला भारत, नेपाल, बंगलादेश, बिहार और बंगाल से जुड़ा हुआ है। तब इस आयोग के कानूनी पक्ष पर सवाल उठ रहा है। दूसरा, की इस आयोग की जिम्मेदारी किसी कार्यरत न्यायाधीश को दिया जाना चाहिए। कार्यकाल तीन महीने से ज्यादा का नहीं रखना चाहिए क्योंकि तीन माह के अंदर काम शुरू नहीं किया गया तो लोगों को तबाही फिर झेलनी पड़ेगी। सिंचाई मंत्री बिहार सरकार, सिंचाई विभाग के बड़े पदाधिकारियों को तत्काल हटाया जाना चाहिए। तथ्य की हेरा–फेरी हो सकती है। भारत सरकार के जल संसाधन मंत्री जयप्रकाश नारायण यादव को भी जांच के दायरे में लाना चाहिए।

आपदा प्रबंधन का पेंच

2008 में कोसी का पश्चिमी तटबंध टूटा था। दरभंगा, मुजफ्फरपुर, सीतामढ़ी, समस्तीपुर, मधुबनी, खगड़िया और नवगछिया पुलिस जिला के डेढ़ करोड़ से ज्यादा लोग चपेट में आये थे। राहत का हाल तब भी बुरा था। बाद में मुआवजे के लिए तो लोगों को तरसाया गया। घूसखोरी और अनावश्यक नियमों का ऐसा मक्कड़जाल बुना गया कि लोग छटपटाकर रह गए। कई इलाकों में तो किसानो ने फसल मुआवजा के लिए आवेदन तक जमा करने के लिए आंदोलन किया। नारायणपुर, वीहपुर, खड़ीक, नवगछिया, रंगरा, इस्मायिलपुर, सबौर, नाथनगर, गौराडी, सन्हौला, परवता, चौथम, आलमनगर, चौसा, रूपौली, प्रखंडों में तो आवेदन लेकर आज तक निष्पादन नहीं

किया। जिन्होंने पैसा दिया उनको थोड़ा बहुत पैसा दिया। यह सब आपदा प्रबंधन कानून 2007 के रहते हुआ। आम आदमी को आपदा कानून की न तो जानकारी है न ही कोई सरकार देना चाहती है। संस्थाएं भी चुप हैं।

बाढ़, सुखाड़ और कटाव की राजनीतिः

बाढ़ आये, सुखाड़ हो और नदियों से कटाव हो तो बिहार के खास महकमें में बहार आ जाती है। 1954 से ही बाढ़ नियंत्रण के नाम पर कोसी परियोजना, गंडग परियोजना के तहत एक लाख अस्सी हजार करोड़ से ज्यादा रुपये खर्च हुए हैं। सिंचाई विभाग के मुकद्मा झेल रहे अधिकांश अभियंता विनय कुमार शर्मा की माने तो कोसी परियोजना में 55 हजार करोड़ रुपये का स्पष्ट घोटाला है। विभाग को सूचना देने पर श्री शर्मा निलंबित हो गये। कहा गया कि विभाग के अभियंता होने के कारण आपको निलंबित किया जाता है। बाद में उच्चन्यायालय से उनको राहत मिली। उच्चन्यायलय ने श्री शर्मा को सम्मानपूर्वक पदस्थान का आदेश दिया। बाद में ठेकेदारों द्वारा उनपर मुकद्मा करवा दिया गया। मुकद्मा अभी चल रहा है। कुसहा बांध टूट प्रकरण में भी अभियंता सत्यनारायण प्रसाद को हटा दिया गया जिसने 6 अगस्त से ही त्राहीमान संदेश भेजा था। विभाग 17 अगस्त तक बांध को ठीक–ठाक बताता रहा। इस प्रकार कहने को उदाहरण हैं। भागलपुर जिले के खैरपुर गांव में कटाव रोकने हेतु दो किस्तों में 44 करोड़ रुपये का आबंटन हुआ। गांव भी कट गया, बांध भी टूट गया। 8 पंचायत डूबकर शिकार हो गयी। चर्चा है कि विधायकजी की मिली भगत से ऐसा हुआ। इसी प्रकार कमलाकुंड गांव में कटाव से रक्षा हेतु 9 करोड़ रुपये का आबंटन हुआ। गांव भी कट गया, और पैसा भी खर्च हो गया। सवाल किसी एक दल या संस्था का नहीं है। आजादी के बाद से लगातार बिहार में सिंचाई विभाग, बाढ़ नियंत्रण, सोने की अंडा देने वाली मुर्गी के रूप में बहु प्रचारित है। परिणाम है कि योजनाएं बनती रहती हैं और तबाही करती रहती हैं और तबाही के बाद पुनः निर्माण की योजना बनाई जाती है। सरकार, राजनेता, पदाधिकारी, ठेकेदार, अभियंता और पुलिस की मिली भगत से भ्रष्ट, निक्कमा तथा ज्ञानी जमात खड़ा कर दिया है। सेवा का मतलब लूट हो गया है। सार्वजनिक सम्पति को निजी संपत्ति में बदलने का एक संगठित अभियान चल रहा है। इसी से उपजी है बाढ़, सुखाड़ और कटाव की राजनीति। योजनाओं का निमार्ण क्रियान्वयन इसी आधार पर होता है। निर्माण–विनाश–निमार्ण–विनाश का खेल चलता रहता है। लोग कहते हैं कि सरकारी काम का मतलब है ‘कुछ न कुछ किया कर पजामा फाड़कर सिया कर।’

तब उपाय क्या है :

एक मात्र उपाय जनता है। उसकी संगठित शक्ति और न्यायप्रिय, ईमानदार चेतना ही कोई रास्ता निकाल सकती है। यह आवश्यक प्रतीत होता है कि न्यायिक जांच आयोग तो सरकार प्रायोजित रहेगा। अच्छा होगा कि जनता की ओर से जन आयोग गठित किया जाए। लोगों में बोलने की चेतना और हिम्मत पैदा की जाये। जब लोग बोलेंगे तो फिर कोई क्या बोलेगा? इसी प्रकार की ताकत देने हेतु पूर्व की यात्रा पूरी हुई है। आगे भी एक माह की यात्रा प्रस्तावित है। प्रस्तावित यात्रा में समाजकर्मी, पर्यावरणविद, पत्रकार, नागरिक और अनुभवी नाविक शामिल रहेंगे।

सुझावः

1. मुद्दा यह नहीं है कि कुशहा में टूटे बांध को बांधा जाये या नहीं। वह एक जटिल मामला है। देश और दुनिया के अनुभव से नदियों को बांधने की नीति छोड़ी जा रही है। जल जमाव को खत्म करने और पानी को नियोजित करने की नीतियां बन रही हैं। ऐसी स्थिति में कुशहा बांध को फिर से बांधना एक नये विध्वंश को निमंत्रण देना होगा। अतः कोसी के साथ तथा बिहार की दूसरी अन्य नदियों के साथ जिम्मेदार व्यवहार किया जाये।

2. बिहार की कोसी और दूसरी अन्य नदियों का प्राकृतिक बहाव गंगा के साथ जुड़ा हुआ है। गंगा को ठीक—ठाक किये बगैर, फरक्का बैराज का इलाज किये बगैर कोई फैसला आत्मघाती होगा। यह मामला भारत सरकार, नेपाल, बंगलादेश, बिहार और प0 बंगाल की सरकार और जनता के बीच का है। सभी पक्षों को बैठकर ही रास्ता निकालना पड़ेगा।

3. राहतकर्मियों को पीड़ितों तक जाना चाहिए न कि पीड़ितों को लोभ या लालच या मजबूरी वश कैम्पों में आने को विवश किया जाये।

4. क्षतिग्रस्त रेल लाइनों और सड़कों में निश्चित रूप से पुल और पुलिया ही बनाई जाये। क्योंकि पानी ने अपना रास्ता लिया है।

5. इन इलाकों में प्रस्तावित रेल और सड़क मार्ग को यथाशीघ्र पूरा किया जाए। इस बड़ी कड़ी में बीहपुर—वीरपुर राष्ट्रीय उच्चपथ को प्राथमिकता दी जानी चाहिए।

6. पूर्व और वर्तमान समय में राहत में हुए घोटाले की उच्चस्तरीय जांच कराई जाए। जांच के दायरे में सिंचाई विभाग सहित विभिन्न विभागों को भी रखा जाए।

7. बिहार के राहत कानून को सार्वजनिक किया जाये, राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन कानून को सार्वजनिक और लागू किया जाये। प्रधानमंत्री द्वारा घोषित राष्ट्रीय आपदा की स्थिति स्पष्ट की जाये।

8. आपदा के लिए दोषी राजनेताओं एवं अधिकारियों को सख्त सजा दी जाये क्योंकि 1986 में ही बांध का समय पूरा हो चुका था जल ग्रहण क्षेत्र में गाद भर रहा था तब 22 साल तक जनता को भ्रम में रखा गया। मार्च, 2008 में सुधीरेन्द्र शर्मा के अध्ययन दल ने बांध से तबाही की आशंका सरकार से व्यक्त कर दी थी।

9. गांव के पुर्ननिमार्ण हेतु समाज के सभी तबकों के अनुभव ताकत एवं ज्ञान के उपयोग की नीति बनाई जाए।

10. कानून व्यवस्था तुरन्त दुरूस्त की जाये। 19 अगस्त को ही इलाका छोड़कर भाग गये पुलिस पदाधिकारियों और प्रशासन के लोगों पर मुकदमा चलाया जाये। आपदा के दौरान इलाके में बड़े पैमाने पर लूटपाट चोरी डकैती और स्त्रियों के साथ अपमानजनक व्यवहार हुआ है उसकी जांच की जाये।

11. राहत, पुर्नवास और मुआवजा तथा बाढ़ के निदान हेतु सरकार सभी स्तरों पर समाज के साथ सहकार करे तो सुशासन का अर्थ ज्यादा परिपक्व और स्पष्ट होगा।

12. न्यायिक जांच आयोग दायरा विस्तारित किया जाये। कार्यरत न्यायधीश को ही जिम्मा दिया जाये। समय तीन माह से ज्यादा न दिया जाये। संबधित राजनेता और पदाधिकारी को तत्काल हटाया जाये।

13. राहत के हिसाब–किताब को सरकार सार्वजनिक करे। विभिन्न प्रखंडों के स्तर पर आबंटन और खर्च का हिसाब सार्वजनिक किया जाये।

14. भारत सरकार द्वारा बनाये आपदा कानून की जानकारी आम लोगों को दी जाये। उसके अनुसार राहत, मुआवजा, पुर्नवास तथा निदान सुनिश्चत किया जाये। बिहार सरकार अपना रिफिल कोड सार्वजनिक करे और हिम्मत के साथ भारत सरकार से राशि का दावा करे।

15. प्रधानमंत्री द्वारा घोषित राष्ट्रीय आपदा का प्रावधान स्पष्ट नहीं है। भारत सरकार इसे सार्वजनिक करे और कार्यबल द्वारा प्रावधानों के तहत देय राशि पीड़ितों को मुहैया कराये।

16. बिहार सरकार द्वारा घोषित कोसी विकास बोर्ड में विभिन्न स्तरों पर समाज की भागीदारी सुनिश्चित की जाये।

17. गांव–गांव में विशेष अभियान चलाकर फसल क्षति, पशुधन की क्षति, मृत्यु सहित तमाम प्रकार के विनाश का विस्तारित विवरण बनाया जाये। इसमें गैर सरकारी भागीदारी भी निश्चित किया जाये।

18. जल्द से जल्द बच्चों के अध्यापन और स्वास्थ्य सेवा को बहाल किया जाये।

19. नये हालत में स्थानीय साधन, हुनर, कौशल और आवश्यकता के आधार पर रोजगार सृजन का अभियान चलाया जाये।

20. विश्वविद्यालय के शिक्षकों, एन.एस.एस., एन.सी.सी. के कैडेटों तथा छात्र–छात्राओं को राहत, पुर्नवास में लगाया जाये।

21. दिल्ली, पटना, सहरसा, मधेपुरा, भागलपुर, पुर्णिया, दरभंगा, मधुबनी, खगरिया में केन्द्र स्थापित करने की आवश्यकता है। जहां सारे सवालों या प्रयासों पर नजर रखी जा सके। सरकार, समाज, एन.जी.ओ., व्यापारिक घरानों और विशेषज्ञों के साथ संपर्क बनाया जा सके।

22. नदियों के सवाल पर समझ और विकल्पों के लिए कार्यशाला संगठित की जाये।

23. जनता के संगठन और नागरिक अपनी ओर से एक जन आयोग गठित करें जो सार्वजनिक सुनवाई करेगा।

24. तथ्यों के संकलन, अध्ययन, नफा–नुकसान का आकलन, सरकारी और गैर सारकारी संगठनों की भूमिका का अध्ययन आवश्यक है। इसमें सभी पक्षों को शामिल किया जाये क्योंकि तथ्य छिपाये जा रहे हैं, छिपाये जा सकते हैं, छिपाये जायेंगे और छिप जायेंगे। इसकी प्रबल संभावना है।

25. समाज के विभिन्न तबकों तथा समाज कर्मी, विशेषज्ञ, पूर्व पदाधिकारी, जननेता, प्रावध्यापक, अधिवक्ता, डाक्टर आदि को लेकर राहत, पूर्नवास, मुआवजा की निगरानी मात्र करने से ढेर सारी परेशानी दूर हो जायेगी। विभिन्न स्तरों पर निगरानी समिति गठित करना चाहिए।

26. जनता को अंततः हक के लिए खड़ा करना एक आवश्यक कार्य है। पीड़ितों को संगठित, प्रशिक्षित और रचनात्मक कामों के लिए आगे लाने हेतु व्यूह रचना की जरूरत है।

27. यह सारा काम साधन के बगैर संभव नहीं होगा। इसे कैसे पूरा किया जाये इस पर ठोस राय बने।

28. तत्काल जल जमाव से निपटने के लिए ठोस योजना बनानी पड़ेगी। अन्यथा आबादी का एक बड़ा हिस्सा सालों भर डूबा रह जायेगा।

29. रपट सैकड़ों लोगों के अनुभव, अध्ययन पर आधारित हैं। जिसमें बाढ़ सुखाड़ मुक्ति आंदोलन के रणजी, कोसी समाज के अमरनाथ ठाकुर, कोसी आंदोलन के आनंद मंडल, गंगा मुक्ति आंदोलन के रामशराण, समाजकर्मी प्रेमनाथ, राष्ट्रीय सेवा दल के सच्चिदाभाई, शगैर्य शक्ति संघ के रवीन्द्र कुमार, मधेपुरा के समाजकर्मी सुबोधकुमार एवं अमित कुमार, गांधी विचार मंच के रणजीत मंडल, सहारा समय के अनुज कुमार शिवलोचन, साहित्यकार किशन कालजयी, पत्रकार अमरनाथ, कलाकार शेखर, गांधी शांति प्रतिष्ठान दिल्ली के सुरेन्द्र कुमार और गांधी विचार विभाग भागलपुर के डा0 विजय कुमार सहित अन्य कई लोगों की राय शामिल है।

निवेदक

(सुरेन्द्र कुमार) (डा0 विजय कुमार)

(किशन कालजयी) (आनन्नद मंडल) (अमरनाथ)